



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:-रालसा/स्टोर/एफ 9/2020/ 54


दिनांक:- 15/02/2020

सीमित निविदा

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एक वर्ष हेतु कार्यालय में संस्थापित कैनन फोटोस्टेट मशीनों के वार्षिक रख-रखाव मय पार्ट्स बाबत दरें प्रति कॉपी की दर से आमंत्रण हेतु हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 24.02.2020 को दोपहर 02.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदा उसी तिथि को दोपहर 03:30 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय क्रय समिति के समक्ष एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। इस कार्य पर लगभग 50 हजार रुपये एक वर्ष में व्यय होना सम्भावित है।

निविदा की शर्तें:-

1. फोटो स्टेट मशीनों के रखरखाव के अन्तर्गत पार्ट्स एवं इंक सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
2. सेवा प्रदाता फर्मों द्वारा निविदा प्रेषित करने से पूर्व, कार्यालय समय में निरीक्षण किया जा सकता है।
3. सभी मशीनों का रख-रखाव व सर्विस फर्म के प्रशिक्षित सर्विस इंजिनियरों द्वारा ही किया जावेगा।
4. सभी मशीनों की सर्विस व मरम्मत कार्य शिकायत अनुसार विभाग में तुरंत उपस्थित होकर दुरुस्त करनी होगी।
5. निविदा में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो निविदा में अलग से अंकित करें।
6. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
7. कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान देय होगा।
8. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होगी।
9. मशीनों में ओरिजनल पार्ट्स लगाने होंगे एवं अनुबंध के अनुसार ही बंदले जाएँगे एवं बदले गये पार्ट्स विभाग के स्टोर अनुभाग में जमा करवाने होंगे जिसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।
10. निविदा के साथ अधिकृत व्यवसायी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।


निदेशक

दिनांक:- 15/02/2020

क्रमांक:-रालसा/स्टोर/एफ 9/2020/ 55-58

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
2. नोटिस बोर्ड राज, उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
3. SPPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री रविन्द्र कुमार छीपी, प्रोग्रामर को प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।



उप सचिव (स्टोर प्रभारी)